



2026:AHC:66934

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 9915 वर्ष 2026

राकेश आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: जीत बहादुर सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, शिखर अवस्थी

न्यायालय सं - 67

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री जीत बहादुर सिंह, प्रथम सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री शिखर अवस्थी और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आनंद प्रताप सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन केस अपराध संख्या-208 वर्ष 2015 में धारा 302/34, 307, 147, 148, 149 और 504 भ०द०वि० के तहत आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क यह है कि शुरुआत में प्रस्तुत आवेदक सहित सात व्यक्तियों के खिलाफ 17.06.2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के बाद, पुलिस ने 11.12.2015 को पांच व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, और आरोप-पत्र में आवेदक का उल्लेख आरोपी के रूप में नहीं किया गया था। इसके बाद, 10.08.2017 को पहले सूचनाकर्ता द्वारा धारा 319 द०प्र०स० के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे 01.03.2025 को अवर न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद, इस न्यायालय के समक्ष उस आदेश के खिलाफ एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया गया था, जिसे दिनांक 28.11.2025 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, और उस आदेश के अनुसरण में, अवर न्यायालय ने आवेदक को दिनांक 12.12.2025 के आदेश द्वारा तलब

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच के दौरान, आवेदक की ओर इशारा करने पर एक देसी पिस्तौल वर्ष 12 बोर बरामद की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिकी के साथ-साथ घायलों के बयान में, आवेदक सहित तीन व्यक्तियों को एक देसी पिस्तौल वर्ष 12 बोर के कब्जे में दिखाया गया था, जबकि मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे 315 बोर की पिस्तौल से गोली लगी थी, जिसे आवेदक से बरामद नहीं किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने दो मामलों के आपराधिक इतिहास के बारे में बताया है।

4. आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी राउत, श्योराज, ऋषि पाल, लातूर और राजू को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-31866 वर्ष 2015, 16588 वर्ष 2017, 37257 वर्ष 2016, 42234 वर्ष 2016 और 16590 वर्ष 2017 के आदेशों के माध्यम से पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, समान भूमिका रखने वाला आवेदक भी समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और मुकदमा चल रहा है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 18.02.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. ततस्य विपरीत, पहले सूचनाकर्ता के अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त को ज़मानत पर रखा गया है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और अवर न्यायालयों के समक्ष भीड़भाड़ वाली जेलों और आपराधिक मामलों के भारी लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जनादेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष**



पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा किये जाने का हकदार है। तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

7. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- राकेश को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए: -

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक ज़मानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध के कमीशन में शामिल नहीं होगा। iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और ज़मानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर जारी किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ज़मानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।



12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, इन रे: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्रिल०) संख्या-4 वर्ष 2021 31.01.2023 को तय की गई (2024)10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट की गई, संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।।

मार्च 31, 2026

एसए

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated Version. Not for Legal Use.